

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 29.09.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल – 30 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सरजू पुत्र पितई, 02. विष्णु पुत्र हुसैनी, 03. दुःख हरण पुत्र रामचन्दर नि० हदियापुर पुरैना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 292 / 20, 02. टड़ई पुत्र रामसुन्दर नि० खानपुर गोरथनिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 293 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्यामा देवी पत्नी रामचरन नि० बलुआ अम्बरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 367 / 20, धारा 60.60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. हीरालाल पुत्र जनक प्रसाद नि० बंसतपुर राजा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 334 / 20, 02. परशुराम पुत्र रामलाल नि० कट्टपुरवा बसंतपुर राजा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 335 / 20, 03. रूसे पुत्र बलराज नि० पण्डित पुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 337 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजेन्द्र पुत्र रामशंकर नि० महेशपुर कटराभोगचन्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 412 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

05. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. नीवर पुत्र देसराज नि० पूरे अजब मौजा शाहपुर धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 393 / 20, 02. रामकुमार पुत्र नागेश्वर नि० वुडवलिया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 395 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

06. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मुकेश सोनकर पुत्र रामफेर नि० राधेपुरवा थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 749 / 20, धारा 60.60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त मुहर्म्म अली पुत्र बेकारु नि० हाड़ा पुरवा उज्जैनी कला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु०अ०सं०- 294 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गैरइरादतन हत्या करने के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने की 03 आरोपी अभियुक्तों- 01. रामसुख चौहान पुत्र स्व० रामअचल, 02. मोनू चौहान पुत्र रामसुख चौहान, 03. सुमन देवी पत्नी विजय चौहान नि०गण लोनियनपुरवा मौजा धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 260 / 20, धारा 147.148.323.506.308.304 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्तों ने जमीन की नींव भरने को लेकर वादिनी श्रीमती गीता देवी पत्नी दहन नि० लोनियन पुरवा मौजा धनौली थाना तरबगंज जनपद गोण्डा व उसके ससुर हनुमान प्रसाद चौहान को लाठी- डण्डा से मार-पीटा था जिससे वादिनी के ससुर मौके पर बेहोश हो गये थे जिनकी दौरान ईलाज जिला अस्पताल गोण्डा में मृत्यु हो गयी थी । जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें तरबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

थाना इटियाथोक पुलिस ने जुआ खेलते 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

गोण्डा । मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 02 अभियुक्तों- 01. यार मोहम्मद पुत्र मो0 सिद्दीकी, 02. एजाजुद्दीन पुत्र कमाल अहमद नि0गण पाण्डेय पुरवा पारा सराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय गिरफ्तार कर लिया गया ।

प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक ने बताया की दिनांक 28.09.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति इटियाथोक क्षेत्र में पाण्डेय पुरवा के पास जुआ खेल रहे हैं, मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर पुलिस बल द्वारा दबिश देकर मौके से उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व फड़ से रू0 390/- बरामद कर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना इटियाथोक में 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

